बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांकः– वि0प्रा0 (III) यो॰–14/2015– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार, (ले॰ एवं ह॰), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषयः– विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी (बेगुसराय) के प्रशासनिक भवन के आंतरिक विद्युतीकरण के जीर्णोद्धार कार्यों के लिए कुल रू॰ 20,13,900=00 (बीस लाख तेरह हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी के पत्रांक–276, दिनांक 30.07.2015 के माध्यम से किये गए अनुरोध के आलोक में अभियंता प्रमुख–सह–अपर सचिव–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–557, दिनांक 05.06.2015 के द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर संस्थान के प्रशासनिक भवन के आंतरिक विद्युतीकरण के जीर्णोद्धार कार्यों के लिए रू॰ 20,13,900=00 (बीस लाख तेरह हजार नौ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के "मुख्यशीर्ष– 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0117– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– P 4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा, भवन निर्माण विभाग होगें।

5. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, दरभंगा से की जायेगी।

6. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार उक्त राशि के निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह॰/ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (III) यो॰–14/2015– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (III) यो॰–14/2015– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (III) यो॰–14/2015– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (III) यो॰–14/2015– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (III) यो॰–14/2015– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी (बंगुसराय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0 (III) यो॰–14/2015– 2478 /पटना, दिनांक 12/10/015

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी–3/बजट सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा आई॰टी॰ मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/10/15

सरकार के अपर सचिव